फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

मोहनराम बनाम नैनूराम

किस्म मुकदमा 225 आरटीए नम्बर 52 / 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16.08.18	अभिभाषक अपीलांट श्री राधाकिसन स्वामी व केवियटकर्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तरफ से अभिभाषक श्री हरिराम बिश्नोई उपस्थित। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश हुई। जो पंजीबद्ध हो। अभिभाषक उभय पक्ष को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वाके चक 1 एमडीएम 'बी' के मुरब्बा नम्बर 200/47 के किला नम्बर 25 की 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 200/55 के किला नम्बर 4, 7, 8, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 की 13 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 200/48 के किला नम्बर 2 ता 23 में 22 बीघा, मुरब्बा नम्बर 200/56 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 में 8 बीघा 11 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 181/41 के किला नम्बर 3 में 1 बीघा, मुरब्बा नम्बर 200/40 के किला नम्बर 25 में 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 181/33 के किला नम्बर 5, 6, 15 में 3 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/41 के किला नम्बर 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 में 13 बीघा 17 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 200/62 के लिा नम्बर 22, 23 में 1 बीघा 14 बिस्वा, मुरब्बा नम्बर 200/55 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 200/63 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 20, 21 में 9 बीघा, मुरब्बा नम्बर 20/56 के किला नम्बर 4, 5, 7, 19, 20, 21 में 6 बीघा व मुरब्बा नम्बर 181/33 के किला नम्बर 16, 25 में 2 बीघा, मुरब्बा नम्बर 181/41 के किला नम्बर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 में 7 बीघा इस प्रकार कुल 92 बीघा 13 बिस्वा भूमि संयुक्त खाते की चली आ रही है। उक्त भूमि के आपसी बंटवारें हेतु अपीलांट/रेस्पोडेन्ट ग्राम पंचायत व प्रशासन गावें के शिविर में हाजिर हुए लेकिन बंटवारें में किसको कौनसा हिस्सा अना है इस पर सहमति नहीं बनने के कारण पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा नहीं हो सका।	

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

रेस्पोडेन्ट द्वारा तहसील कर्मचारियों से मिलिभगत करकेक उपरोक्त भूमि का इंतकाल संख्या 36 दिनांक 21–10–2001 से खाता विभाजन करवा जिया गया जबकि उक्त खाता विभाजन हेतु कभ भी सहमति नहीं बनी। चूंकि वादगत् भूमि अभी भी संयुक्त खाते की भूमि है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा अपीलांट के पक्ष में साबित है। का संतुलन अपीलांट के पक्ष में साबित है। दौराने अपील यदि उक्त तथाकथित खाता विभाजन के आधार पर अपीलांट को वादगत् भूमि व अपने धारण की भूमि से बेदखल किया गया तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जाकर आदेश जैर अपील 26–07–2018 की पालना स्थगित फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने कथन में कहा कि वादगत् भूमि अपीलांट/रेस्पोडेन्ट की संयुक्त खाते की भूमि है। उक्त संयुक्त खाते की भूमि का विधिवित रूप से सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से राजस्व कैम्प में दिनांक 21–10–2001 को बंटवारों हो गया था तथा उसी दिन सभी पक्षकारों की सहमति से से नामान्तराकरण संख्या 36 तस्दीक किया गया। जिस पर पटवारी हल्का व गिरदावार के हस्ताक्षर अंकित है। उक्त बंटवारों के करीब 17 वर्ष उपरान्त अपीलांट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष बंटवारें का वाद प्रस्तुत किया गया है। जबकि विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि जब एक बार बंटवारा हो जाता है तो पुनः वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। रेस्पोडेन्ट व अपीलांट उक्त खाता विभाजन के उपरान्त अपने अपने धारण की भूमि पर काबिज होकर काश्त है।

ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट अपने हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार है एवं एक खातेदार काश्तकार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में नहीं बनता है। वादगत् भूमि के सभी सह खातेदार अपने अपने कब्जे काश्त की भूमि पवर काबिज होकर काश्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि आदेश जैर अपील से अपूरणीय क्षति कारित होगी। स्वीकार योग्य कथन नहीं है।

अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के आधार पर व उनके अवलोकन के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित करते हुए अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अतः अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाते।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

हस्तगत् प्रकण में अपीलांट द्वारा अदालत मातहत ने दिनांक 26–07–2018 से व्यथित होकर जिसके माध्यम से अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

इस संबंध में हमने अदालत मातहत के आदेश व पत्रावली के साथ उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवाद है कि वादगत् के बाबत् पक्षकारों के मध्य दिनांक 21–10–2001 आपसी सहमति से राजस्व कैम्प में बंटवारा होते हुए खाता विभाजन हो चुका है तथा वादगत् भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 36 दिनांक 21–10–2001 को तस्दीक करते हुए सभी पक्षकारों की भूमि अलग–अलग मुरब्बों में बांट की दी गई है। सभी का उसी विभाजन के अनुसार व जमाबन्दी के मुताबिक कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में जब पक्षकारों के मध्य एक बार आपसी सहमति से बंटवारों हो जाता है तो उसे सक्षम न्यायालय में अपील के माध्यम से ही निरस्त करवाया जा सकता है। पुनः विभाजन का वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

चूंकि प्रस्तुत मामलें में सभी पक्षकार उक्त विभाजन के अनुसार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का कथन कि उसे अपूरणीय क्षति कारित होगी स्वीकार योग्य कथन नहीं है। सभी सह खातेदार अपने अपने धारण की भूमि पर मुताबिक वर्तमान जमाबन्दी से खातेदार काश्तकार है। ऐसी स्थिति में किसी भी सह खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा इसी आधार पर अपीलांट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्कता नहीं हैं अतः अपीलांट का स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अपील फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफतर हो।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर।

Scanned by CamScanner